NJESR/August-2025/Volume-7/Issue-8 E-ISSN-2582-5836
DOI-10.53571/NJESR.2025.7.8.52-62

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित की जाने वाली सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) का चरणवार एवं राज्यवार तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ. लक्ष्मण परवाल,प्राध्यापक वाणिज्य संकाय,

स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

(Received-15-July2025/Revised-30-July2025/ Accepted-10-August2025/ Published-30August2025)

1. प्रस्तावना :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास को समर्पित केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक महत्वाकांक्षित योजना है । इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा किया गया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच की बढ़ती खाई को पाटना है । इस योजना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली पक्की बारहमासी सड़कों का निर्माण गांव गांव में किया जा रहा है । आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों के लिए जीवन रेखा बन गई है ।

भारत में सड़क संपर्कता ग्रामीण विकास का एक प्रमुख घटक है । ग्रामीण विकास के 06 आधारभूत तत्वों में सड़क आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को शामिल किया गया है । ग्रामीण सड़कें आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि आय और उत्पादक रोजगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है । ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहुल आबादी के लिए वास्तविक जीवन का आधार है । देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक कुशल ग्रामीण सड़क अवसंरचना बहुत महत्वपूर्ण है ।

ग्रामीण विकास के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति मात्र काल्पनिक है । ग्रामीण विकास मूलतः कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, आवास एवं पेयजल जैसी आधारभूत सुविधओं की सही और संतुलित प्रगति पर ही निर्भर करता है । अतः जब तक गांवों में सड़कों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ग्रामीण विकास संभव नहीं है । देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का देशव्यापी तंत्र प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है ।

ग्रामीण सड़कों के विकास में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भारत सरकार के ग्रामीण विकास

Created by Universal Document Converter

मंत्रालय एवं राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी- राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।

2. अध्ययन का क्षेत्र व अवधि :

यह शोध कार्य भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में योजनान्तर्गत निर्मित की जाने वाली एवं की गई सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) के निर्माण से संबंधित है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) के समंकों को संग्रहित कर राज्यवार एवं चरणवार तुलनात्मक विश्लेषण का कार्य शोधकर्ता द्वारा इस शोध पत्र में किया गया है।

3. अध्ययन विधि :

यह शोध कार्य द्वितीयक समंकों पर आधारित है जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं इस योजना की नोडल एजेंसी- राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की वेबसाईट पर प्रदर्शित वार्षिक रिपोर्टो से संग्रहित किये गये है। प्रस्तुत अध्ययन में लगभग 24 वर्षो के समंकों का तुलनात्मक विश्लेषण राज्यवार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के आधार पर किया गया है जिसमें औसत, प्रतिशत, अनुपात, रेखाचित्र व दण्डचित्र जैसी सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग कर अपेक्षित निष्कर्ष निकाले गये है।

4. अध्ययन के उद्येश्य :

प्रस्तुत शोधपत्र में यह अध्ययन किया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भारत के सभी राज्यों/केन्द्र शासित संघों में स्वीकृत व निर्मित किये गये सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) के प्रयास कितने सार्थक रहे है। वस्तुतः यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किया गया है :

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में राज्यवार एवं केन्द्र शासित संघ अनुसार कितने कि.मी. की सड़कों व पूलों के निर्माण कार्यो को स्वीकृत किया गया।
- स्वीकृत सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) की तुलना में राज्यवार एवं चरणवार कितनी सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- योजनान्तर्गत तीनों चरणों में से किस चरण में सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) का निर्माण कार्य अधिक हुआ व किस चरण में निर्माण कार्य कम हुआ।

Created by Universal Document Converter

- योजना के माध्यम से अपने-अपने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने में कौन-कौन से राज्य मुख्य भूमिका में रहे तथा कौन से राज्य गौण भूमिका में रहें।

5. विवेचना एवं परिणाम :

A. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित की जाने वाली एवं निर्मित की गई सड़कों एवं पूलों की लम्बाई (कि.मी. मे) का विश्लेषण।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनो चरणों में (वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक) ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क से वंचित बसावटों में बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत की गई सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि.मी. में) तथा निर्मित की गई सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि.मी. में) का विश्लेषण तालिका क्र. 7.4 में किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य गत 24 वर्षों से निरन्तर किया जा रहा है।

यहाँ यह स्पष्ट करना उचित प्रतीत हो रहा है कि प्रथम चरण में स्वीकृत सड़कों व पूलों की लम्बाई का निर्माण कार्य अगले चरणों में निर्मित होने पर भी उन्हें प्रथम चरण के समकों में ही शामिल किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में स्वीकृत सड़कों व पूलों की लम्बाई का निर्माण कार्य अगले चरण में निर्मित होने पर भी उन्हें द्वितीय चरण के अंतर्गत ही निर्मित हुआ माना गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

तालिका क्र. 7.5

तीनों चरणों में स्वीकृत व निर्मित सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि.मी.) का विवरण

(31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार)

Created by Universal Document Converter

चरण	स्वीकृत सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि.मी.में)	निर्मित सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि.मी.मे)	प्रतिशत
प्रथम चरण	6,44,868	6,24,610	96.86
द्वितीय चरण	49,792	49,024	98.46
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	12,228	9,332	76.32
तृतीय चरण	1,21,895	87,696	71.94
योग	**8,28,783**	**7,70,662**	**92.99**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट-2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ.क्र. 396 से 400

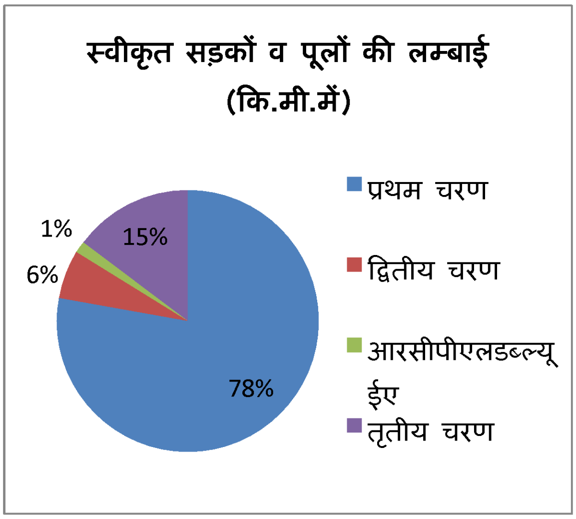

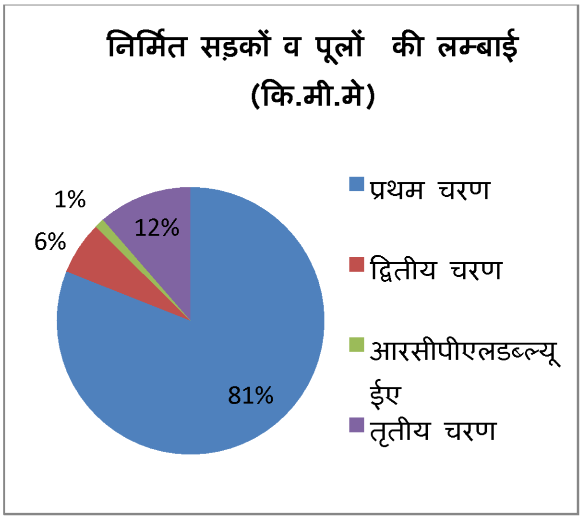

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों व पूलों का निर्माण करके बेहतर अधोसंरचना की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तीनों चरणों में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कुल 8,28,783 कि.मी. लम्बाई की सड़कें व पूल स्वीकृत किये गये जिसमें से 7,70,662 कि. मी. लम्बाई की सड़के व पूल निर्मित भी हो गये हैं। प्रतिशत के आधार पर यह 93 % के बराबर है। अर्थात् योजनान्तर्गत प्रत्येक 100 कि. मी. लम्बाई की सड़कें स्वीकृत होने पर 93 कि. मी. लम्बाई की सड़कें निर्मित हो रही है।

यदि तीनों चरणों का अलग-अलग विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय चरणों में स्वीकृत की गई सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि. मी. में) के अनुपात में निर्मित हुई सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि. मी. में) का प्रतिशत क्रमश: 97 एवं 98 रहा

Created by Universal Document Converter

है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 09 राज्यों में (REPLWEA के अंतर्गत) तथा तृतीय चरण में स्वीकृत सड़कों की लम्बाई के अनुपात में निर्मित सड़कों की लम्बाई का प्रतिशत लगभग 76 व 72 रहा है ।

निष्कर्ष के रूप में यह कहां जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत सभी सड़कों व पूलों का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की स्थिति में है जो इस योजना की उपयोगिता, सफलता,आवश्यकता व ग्रामीण विकास की दिशा में किये गये कारगर प्रयासों का ही सम्मिश्रण है । उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों व तृतीय चरण में स्वीकृत सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि. मी में) के अनुपात में तीन चौथाई सड़को व पूलों की लम्बाई (कि.मी में) का पूर्ण हो जाना भी सफलता की दिशा में योजना का एक महत्वपूर्ण प्रयास है । योजनान्तर्गत स्वीकृत व निर्मित सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में) में, पहली बार बनने वाली सड़कें, उन्नयन के लिए स्वीकृत सड़कें तथा मरम्मत व रखरखाव की दृष्टि से स्वीकृत व निर्मित सड़कों व पूलों का योग है ।

B. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित की जाने वाली एवं निर्मित की गई सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि.मी.) का राज्यवार विश्लेषण:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनो चरणों में (दिसम्बर 2000 से दिसम्बर 2024 तक) लगातार 24 वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित संघो के ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में निर्मित की जाने वाली एवं निर्मित की गई सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि. मी. में) को शोधकर्ता ने वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के आधार पर तालिका क्र. 7.6 में विश्लेषित किया है।

इस विश्लेषण के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि भारत के सभी राज्यों में से इस योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक लाभांवित होने वाले राज्य कौन-कौन से है तथा उनके क्रमों का निर्धारण भी आंकडों के आधार पर हो सकेगा । साथ ही योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने में सड़कों का निर्माण, उन्नयन और रखरखाव करने हेतु किन-किन राज्यों ने ग्रामीण थ्रू-रूटों व लिंक रूटों को विकसित व समृद्ध बनाने में रुचि, क्षमता, व जिम्मेदारी से कार्य किया है ।

इस प्रकार तीनों चरणों के साथ ही आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित की गई सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि.मी. में) को दिनांक 31-12-2024 के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वास्तविक कार्यान्वयन की स्थिति को शोधकर्ता ने निम्न तालिका में वर्णन करते हुए प्रतिशत के आधार यह भी विश्लेषित करने का प्रयास किया है कि तीनों चरणों में देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित संघो में से किन-किन राज्यों ने सर्वाधिक

Created by Universal Document Converter

कि. मी. लम्बाई की सड़कों व पूलों का निर्माण कार्य किया है तथा कौन से राज्य इस योजना का लाभ प्राप्त करने में पीछे रह गये है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

तालिका क्र. 7.6
तीनों चरणों में निर्मित की जाने वाली एवं निर्मित की गई सड़कों व पूलों की लम्बाई (कि.मी.) का राज्यवार विवरण (31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार)

स. क्र.	राज्य का नाम	निर्मित की जाने वाली सड़कों की लम्बाई		निर्मित की गई सड़कों की लम्बाई		प्रतिशत
		(कि.मी.में)	क्रम	(कि.मी.में)	क्रम	
1	अंडमान और निकोबार	378	30	119	31	31.48
2	आन्ध्रप्रदेश	19,801	16	17,866	16	90.23
3	अरुणाचल प्रदेश	15,750	17	13,706	18	87.02
4	असम	32,911	10	31,892	08	96.90
5	बिहार	65,619	05	61,211	05	93.28

Created by Universal Document Converter

6	छत्तीसगढ़	45,740	06	42,603	06	93.14
7	गोवा	155	31	155	30	100.00
8	गुजरात	15,730	18	15,330	17	97.46
9	हरियाणा	8,110	22	8,031	22	99.03
10	हिमाचल प्रदेश	24,977	12	21,582	13	86.41
11	जम्मू और कश्मीर	20,802	15	19,480	15	93.64
12	झारखंड	33,720	09	30,529	09	90.54
13	कर्नाटक	24,203	13	23,926	11	98.86
14	केरल	5,312	25	4,269	28	80.37
15	लद्दाख	1,621	29	1,105	29	68.17
16	मध्यप्रदेश	93,623	01	89,621	01	95.73
17	महाराष्ट्र	34,516	08	30,323	10	87.85
18	मणिपुर	12,175	20	10,854	20	89.15
19	मेघालय	5,978	24	4,718	25	78.92
20	मिजोरम	4,970	27	4,405	26	88.63
21	नागालैंड	4,945	28	4,323	27	87.42
22	ओड़िसा	74,513	04	70,720	04	94.91
23	पांडिचेरी	66	32	62	32	93.94
24	पंजाब	11,618	21	10,261	21	88.32
25	राजस्थान	78,168	02	75,491	02	96.58
26	सिक्किम	5,202	26	4,731	24	90.95
27	तमिलनाडु	26,578	11	23,579	12	88.72
28	तेलंगाना	14,583	19	12,771	19	87.57
29	त्रिपुरा	6,019	23	4,968	23	82.54
30	उत्तर प्रदेश	77,409	03	74,635	03	96.42
31	उत्तराखंड	22,552	14	20,293	14	89.98
32	पश्चिम बंगाल	41,039	07	37,103	07	90.41
	योग	**8,28,783**	**-**	**7,70,662**	**-**	**92.99**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट-2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ.क्र. 396 से 400

Created by Universal Document Converter

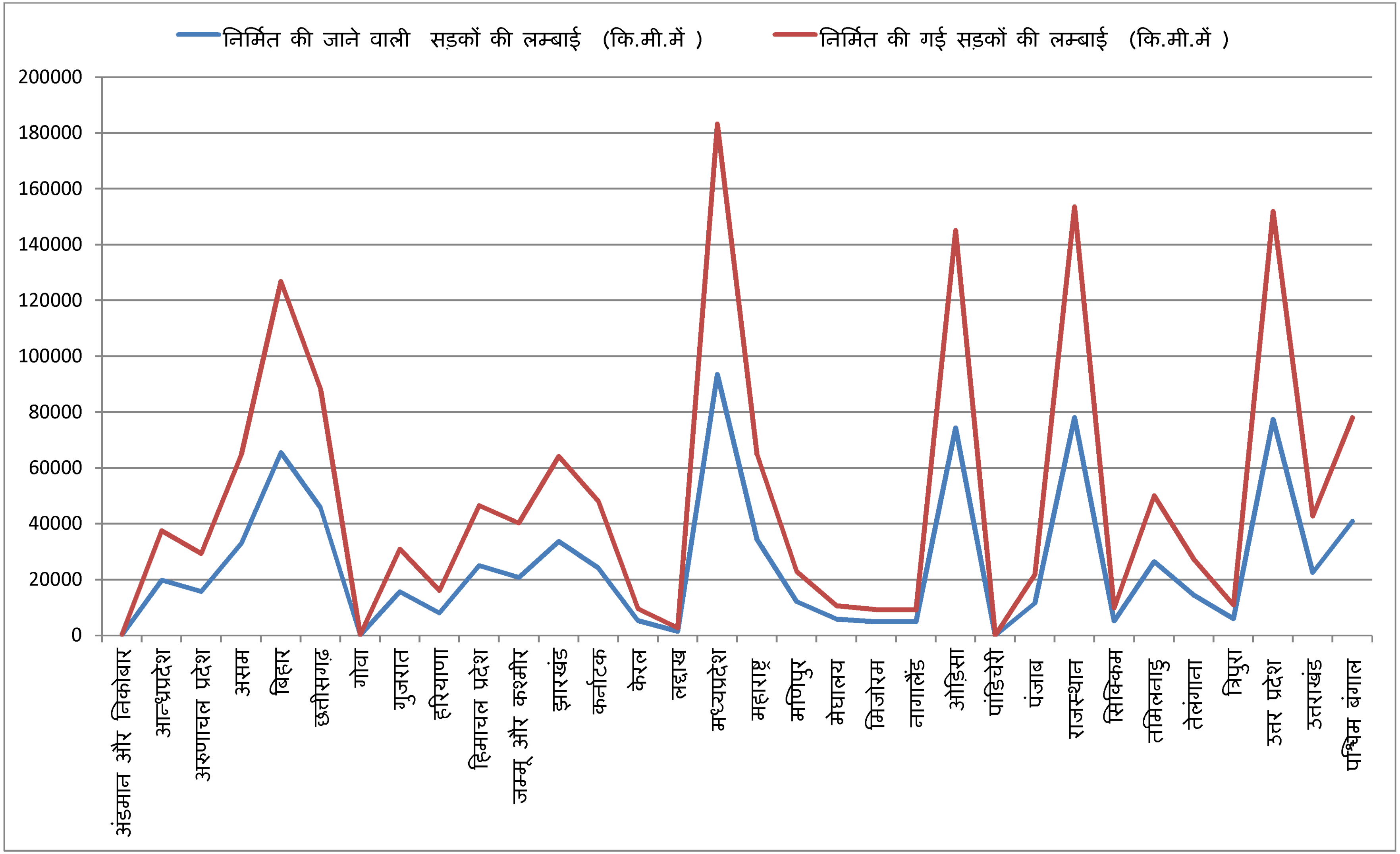

Created by Universal Document Converter

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में (वर्ष दिसम्बर 2000 से दिसम्बर 2024 तक) लगभग 24 वर्षों में सम्पूर्ण देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित संघों में कुल 8,28,783 कि.मी. लम्बाई की सड़कों व पूलों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 7,70,662 कि. मी. लम्बी सड़कों का निर्माण, उन्नयन व मरम्मत का कार्य योजनान्तर्गत पूर्ण हो चुका है। यह कुल स्वीकृत सड़कों की लम्बाई का लगभग 93% भाग है। यह स्थिति भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता, उपयोगिता व ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को परिलक्षित करती है। संक्षेप में यह कहाँ जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में स्वीकृत की गई 100 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के अनुपात में विभाग द्वारा 93 कि. मी लम्बाई की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेन्सी द्वारा सभी राज्यों की राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास एजेन्सियों व अन्य तकनीकी सहयोगी संस्थाओं व एजेन्सियों के सहयोग एवं समन्वय से भारत के सभी राज्यों व केन्द्र शासित संघो के ग्रामीण क्षेत्रों में बसी बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तत्परता से कार्य कर रहा है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सर्वाधिक सफल 10 राज्यों का क्रम इस प्रकार रहा है:-

1. मध्यप्रदेश राज्य ने 89,621 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
2. राजस्थान राज्य ने 75,491 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
3. उत्तरप्रदेश राज्य ने 74,635 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
4. ओडिशा राज्य ने 70,720 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
5. बिहार राज्य ने 61,211 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
6. छत्तीसगढ़ राज्य ने 42,603 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
7. पश्चिम बंगाल राज्य ने 37,103 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
8. असम राज्य ने 31,892 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
9. झारखंड राज्य ने 30,529 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।
10. महाराष्ट्र राज्य ने 30,323 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया है।

Created by Universal Document Converter

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में सबसे कम सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले 10 राज्यों/ केन्द्र शासित संघो का क्रम इस प्रकार रहा है :-

1. पांडिचेरी में मात्र 32 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है ।
2. अंडमान और निकोबार में मात्र ने 119 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है ।
3. गोवा राज्य ने मात्र 155 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया है ।
4. लद्दाख में मात्र 194 कि.मी. लम्बी सड़कोंका निर्माण हुआ है ।
5. केरल राज्य ने मात्र 1,105 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया है ।
6. नागालैंड राज्य ने मात्र 4,323 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया है ।
7. मिजोरम राज्य ने मात्र 4,405 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया है ।
8. मेघालय राज्य ने मात्र 4,718 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया है ।
9. सिक्किम राज्य ने मात्र 4,731 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया है ।
10. त्रिपुरा राज्य ने मात्र 4,968 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया है ।

शेष बचे 12 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का क्रम 11 से 22 के बीच रहा है । इनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार है:- कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना मणिपुर, पंजाब तथा हरियाणा । इस प्रकार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने की दिशा में सम्पूर्ण देश में निर्मित सड़कों की लम्बाई 7,70,662 कि.मी. में से लगभग 71% भाग (अर्थात् 5,44,128 कि.मी.) तो सर्वाधिक सफलता प्राप्त करने वाले उपर्युक्त 10 राज्यों में ही निर्मित हुई है । इसके अतिरिक्त सबसे कम सड़कों का निर्माण करने वाले उपर्युक्त 10 राज्यों में मात्र 03% भाग (अर्थात् 24,750 कि.मी.) ही निर्मित हुआ है ।

शेष बचे 12 राज्यों में जिनका क्रम 11 से 22 के बीच है जिनका वर्णन ऊपर किया गया है उनमें कुल निर्मित सड़कों की लम्बाई 7,70,602 कि.मी. की तुलना में लगभग 26% भाग (अर्थात् 2,01,784 कि.मी.) का निर्माण कार्य किया गया है ।

6. निष्कर्ष :

अध्ययन के अंत में यह कहां जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में से प्रथम चरण में ही सर्वाधिक सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) का निर्माण कार्य स्वीकृत व निर्मित किया गया है । यदि सम्पूर्ण अवधि (लगभग 24 वर्ष) या तीनों चरणों

Created by Universal Document Converter

का निष्कर्ष निकाले तो प्रत्येक 100 कि.मी. सड़कों व पूलों की स्वीकृति पर योजनान्तर्गत 93 कि.मी. सड़कों व पूलों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

योजनान्तर्गत सर्वाधिक किलोमीटर में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों व पूलों का निर्माण करवाने वाले प्रमुख राज्यों में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, उत्तरप्रदेश तीसरे स्थान पर, ओड़िशा चौथे स्थान पर तथा बिहार पांचवें स्थान पर रहे है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत सबसे कम सड़कों व पूलों की लंबाई (कि.मी. में) का निर्माण कार्य करवाने वाले राज्यों/संघों में पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार, गोवा, लद्दाख तथा केरल राज्य रहे है।

7. संदर्भ सूची :

1. वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. विजय कुमार दीक्षित, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. ग्रामीण विकास एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. प्रीति जैन, सत्यम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, जयपुर
5. www.pmgsy.online.nic.in
6. www.omms.nic.in

--00---

Created by Universal Document Converter